न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 245/2016

तारीख दायरा : 14.10.2016

उनवान

1.नेकीराम पुत्र चन्दर।

2.श्योराम पुत्र चन्दर।

3.जयमल पुत्र जीवला पोत्र चन्दर।

4.भगतराम पुत्र जीवला पौत्र चन्दर।

5.बाबूलाल पुत्र जीवला पौत्र चन्दर।

6.रामकिशोर पुत्र शिम्भू पौत्र चन्दर।

7.माया पत्नी प्रकाश पौत्र चन्दर।

8.राजेन्द्र पुत्र प्रकाश परपौत्र चन्दर।

9.उमेश पुत्र प्रकाश परपौत्र चन्दर जातियान गुर्जरान निवासीयान् नागल रानिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर। .....वादीगण।

बनाम

1.मिरचूमल पुत्र कुन्दनमल जाति खत्री निवासी मुण्डावर ।

2.ठाकरी बाई बेवा बस्सूमल जाति खत्री निवासी मुण्डावर।

3.लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर। .....प्रतिवादीगण।

(प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2017)

उपस्थिति :—1. श्री जगन्नाथ, अधिवक्ता .....वादीगण की ओर से ।
2. श्री, सुरेश यादव अधिवक्ता ..... प्रतिवादीगण की ओर से।

न्यायालय द्वारा :—

:: आदेश :: दिनांकः 30.7.19

प्रार्थी/प्रतिवादी हसांनन्द पुत्र ठाकरी बाई की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रतिवादी न.1 मिरचूमल की मृत्यु करीब 3 वर्ष पूर्व हो गई तथा प्रतिवादी न.2 ठाकरी बाई की मृत्यु करीब 02 वर्ष पूर्व हो गई दोनों प्रतिवादीगण की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व ही हो चुकी है। कानूनन मृतक व्यक्ति के विरूद्व दावा नहीं लाया जा सकता है। मृतक व्यक्ति के विरूद्व दावा शून्य है। इसलिए दावा वादी खारिज किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी/वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र के बाद दिनांक 30.003.2017 को आर्डर 22 रूल 4 व 9 एवं 151 सी.पी.सी. का इस आशय का प्रस्तुत किया कि पक्षकार प्रतिवादी मिरचूमल व ठाकरी ग्राम मुण्डावर में नहीं रहते है जो काफी वर्षो से मुण्डावर छोडकर चले गये काफी तलाश करने पर कोई पता नहीं चल पाया। सद्भावना से ही प्रतिवादी न.1 व 2 जिन्दा है पक्षकार दर्ज किया था। प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.02.2017 को प्रार्थना पत्र पेश करने पर इस तथ्य की जानकारी हुई। इसके बाद उनके वारिसान की जॉच की गई परन्तु वारिसान भी मुण्डावर में नहीं रहते है। ठाकरी बाई के वारिस हसांनन्द द्वारा प्रार्थना पत्र नलिटी पेश किया गया है इसलिए हसांनन्द को रिकार्ड पर लिया जावे। अप्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को सुना तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर. 2012(1) 689, आर.बी.जे. 1999 पेज 221 एवं आर.आर.डी. 1989 पेज 667 एवं वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2004 ए.आई.आर. पेज 2787 व 2001 ए.आई.आर. पेज 1185 का ससम्मान अध्ययन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/प्रतिवादी का कथन है कि प्रतिवादी न.1 व 2 दोनों दावा दायरी से पूर्व ही फौत हो चुके है तथा मृतक व्यक्ति के विरूद्व दावा दायर किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल 4 जा.दी. व 151 में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी मिरचूमल व ठाकरी ग्राम मुण्डावर में नहीं रहते है जो काफी वर्षो से मुण्डावर छोडकर चले गये काफी तलाश करने पर कोई पता नहीं चल पाया। सद्भावना से ही प्रतिवादी न.1 व 2 जिन्दा है पक्षकार दर्ज किया गय था। परन्तु वादी/अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी न.1 व 2 के लीगल वारिसान कौन–कौन है का अभी भी उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही उनका कोई नाम पता वर्णित किया गया है। केवल मात्र प्रार्थी हंसाराम के प्रार्थना पत्र देने पर हंसाराम को ठाकरी का वारिस होना बताते हुये रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी/अप्रार्थीगण द्वारा यह दावा मृतक व्यक्तियों के विरूद्व पेश किया गया है। विधिक स्थिति के अनुसार मृतक व्यक्ति की विरूद्व पेश किया गया दावा प्रभावी शून्य (Nullity) है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चय 2012(1) आर.आर.टी.189 धन्नी देवी व अन्य बनाम कन्हैया लाल व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत अपील को प्रभाव शून्य (Nullity) होना अभिर्निधारित किया गया है।

उपखण्डाधिकारी
(अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

वादी का यह दायित्व है कि वह जिस व्यक्ति के विरूद्व अनुतोष की मॉग कर रहा है उसके विधिक वारिसान व उसके निवास स्थान आदि का पूर्ण पता न्यायालय में पेश करें। वादी ऐसा करने में विफल रहा है। जहां तक प्रतिवादी न.1 व 2 का नाम सद्भावना पूर्वक दर्ज करने का तर्क है इससे हम सहमत नहीं है। क्योंकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरान्त वादीगण के यह तथ्य संज्ञान में आ गया था परन्तु उसके बावजूद भी वादीगण मृतक प्रतिवादीगण के लीगल वारिसान का नाम पता न्यायालय में पेश करने में असफल रहा है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के उपरान्त वादीगण का दावा विरूद्व प्रतिवादीगण प्रभाव शून्य (Nullity) होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है तथा उक्त वादी का दावा मृतक प्रतिवादीगण नम्बर 01 व 02 के विरूद्व प्रभाव शून्य (Nullity) होने के कारण खारिज किया जाता है।

30.7.19

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

निणर्य आज दिनांक 30.7.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.7.19

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner